नागरिक उद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 09 सितंबर, 2014

विषय: नागरिक उद्योग निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक/भत्ता के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपरुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नागरिक उद्योग निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को मासिक पारिश्रमिक शासनन्देश संख्या-683/छपन-2007-180/2000, दिनांक 13 अगस्त, 2007 तथा शासनन्देश संख्या: 1097/छपन- 2009-180/2000, दिनांक 09 नवम्बर, 2009 के अनुसार भुगतान किया जाता है एवं पाथलट को विशेष उद्यान भत्ता का भुगतान शासनन्देश संख्या-1028/छपन-2010-20/2010, दिनांक 21 जुलाई, 2010 में विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार किया जाता है। निदेशालय के नियमित सेवा के कार्मिकों को यथानियम वेतन भत्ता का भुगतान किया जाता है। नागरिक उद्योग निदेशालय में नियमित सेवा के कार्मिकों के कार्मिक 02 तरह - नियमित सेवा और संविदा पर आधारित सेवा से निरुक्त/कार्यरत हैं। इनके द्वारा वेतन-भत्ता/पारिश्रमिक में बृद्धि की गई विनायक काफी समय रो की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नागरिक उद्योग विभाग के कार्मिकों को प्राप्त हो रहे नियमित पारिश्रमिक का निर्धारण काफी समय पूर्व किया गया है।

2- उक्त के पश्चिमक्ष प्रसिद्धि संस्थान: 1627/छपन-2013-38/98 दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा विशुद्ध हस्तिया, वित्त की अवधारणा में एक समिति मार्गित की गयी थी, जिसमें उनके अतिरिक्त सचिव, नागरिक उद्योग, विशुद्ध सचिव, कार्मिक द्वारा नामित अधिकारी, निदेशक, नागरिक उद्योग, उद्योग एवं वित्त निदेशक, नागरिक उद्योग निदेशालय सदस्य थे। सम्मान: विवादोपराना श्री राज्यवाल समिति द्वारा
बेलक दिनांक 08.07.2014 में की गयी संसूचियां पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— उक्त संसूचियां के आधार पर विभिन्न अथवा केवल अनुमति पारिश्रमिक एवं भत्ते निम्नवत् अनुमति किये जाते हैं।

1. प्रबंधक (परिचालन):—
प्रबंधक (परिचालन) के पद पर नियुक्त अधिकारी को रू 3.50 लाख प्रतिमाह की धनराशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगी, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमति होगी।

2. पायलट :
ऐसे पायलट जो 12000 किलोग्राम से अधिक भार के जेट प्रकार के वायुयान के परिचालन हेतु आर्थ हैं:

क। संविदा सेवा :—
नागरिक उड्डयन निदेशालय की फलीट में सम्मिलित 12000 किलोग्राम से अधिक जेट प्रकार के वायुयान के परिचालन के लिए नियुक्त किये गये पायलटों को यदि वे पायलट-इन-कमाण्ड के रूप में कार्य करने की अहेतु रखते हैं तो उन्हें रू 5.50 लाख से रू 7.00 लाख प्रतिमाह की रेंज में पारिश्रमिक देय होगा, जिसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमति होगी। यदि ऐसे पायलट जो नागरिक उड्डयन निदेशालय की फलीट में सम्मिलित 12000 किलोग्राम से अधिक जेट प्रकार के वायुयान के को-पायलट के रूप में कार्य करने की अहेतु रखते हैं तो उन्हें रू 4.00 लाख से रू 6.00 लाख प्रतिमाह की रेंज में पारिश्रमिक देय होगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमति होगी।

ख। नियमित सेवा :—
नियमित सेवा में कार्यरत पायलटों को उन्हें अन्य अनुमति वेतन/भत्तों के अतिरिक्त रू 2.75 लाख प्रतिमाह की धनराशि विशेष भत्ते के रूप में अनुमति होगी।
ग. पायलट-इन-कमांड (संविदा सेवा):-

ऐसे पायलट जो टर्बोप्रॉप वायुयानों/हेलीकॉप्टर के रूप में परिचालन हेतु अर्ध हैंः—

इस श्रेणी के पायलटों को रू 2.50 लाख से रू 4.50 लाख की रेंज में प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमय होगी।

घ. अन्य पायलटः

सूचंगत सेवा नियमावली के अनुसार कामशील पायलट लाइसेंस्ड धारक ऐसे पायलट जिनके पास 1500 घंटे या उससे अधिक का उड़ान अनुभव हो, को रू 1.25 लाख से रू 2.00 लाख की रेंज में प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमय होगी।

ड. विशेष उड़ान भत्ताः

उपरेलिखित 12000 किलोग्राम भार तक के जेट वायुयान का परिचालन करने वाले पायलटों को रू 5,000/- प्रति घंटे की दर से विशेष उड़ान भत्ता देय होगा, जिसकी न्यूनतम धनराशि रू 25,000/- प्रतिमाह होगी। अन्य पायलटों को रू 4,000/- प्रतिघंटा की दर से विशेष उड़ान भत्ता देय होगा, जिसकी भी न्यूनतम धनराशि रू 25,000/- प्रतिमाह होगी।

3. विमानन अभियंताः

(क). वर्तमान में विमानन अभियंता को रू 1.25 लाख से रू 2.00 लाख प्रतिमाह की रेंज में पारिश्रमिक अनुमय है, जिसमें मुख्य अभियंता को रू 2.00 लाख तथा अन्य अभियंताओं को उनके लाइसेंस तथा नागरिक उड़ान निदेशालय की फ्लोट में उपलब्ध किसी एक वायुयान/हेलीकॉप्टर का पृथकृत रू 1.25 लाख, दो का पृथकृत रू 1.50 लाख तथा उससे अधिक का होने पर रू 1.75 लाख की धनराशि दी जा रही है, के स्थान पर रू 1.50 लाख से रू 2.50 लाख प्रतिमाह की रेंज में पारिश्रमिक अनुमय होगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि दी जायेगी।
(ख) अतिरिक्त योग्यता भत्ता:-

नियमित सेवा में कार्यरत पायलटों एवं वायुयान अनुसूचित अभियंताओं के लिए वर्तमान में अनुमय अतिरिक्त योग्यता भत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, किन्तु उक्त श्रेणियों के अतिरिक्त शेर तक नकी करियों को अनुमय अतिरिक्त योग्यता भत्ता की धनाशिशि दोभुगी कर दी जाएगी।

4. अन्य कार्मिक (संविदा सेवा):- प्रबंधक, पायलट एवं अभियंताओं को छोड़कर ऐसे सभी कर्मी जो संविदा सेवा पर नागरिक उद्देश्य निदेशालय की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत हैं, का पारिश्रमिक उनके द्वारा धारित पद के समक्ष नियमित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन एवं उस पर अनुमय ग्रेड वेतन को जोड़कर उस पर वर्तमान में देय महागाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा एविशेष भत्ता को जोड़ने के बाद उसके योग पर 10 प्रतिशत की वृद्धि देकर निर्धारित किया जाएगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमय होगी।

5. एविशेष भत्ता (नियमित सेवा):- शासनाधेश 1344/छपन--2007--90/95 दिनांक 01 जनवरी, 2008 द्वारा निर्धारित एविशेष भत्ता को यथावत रखा जाएगा।

6. अतिरिक्त दायित्व भत्ता:- नियमित सेवा/संविदा सेवा में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों जिन्हें महानिदेशक, नागर विभाग की आवश्यकताओं की पूरी हेतु अतिरिक्त दायित्व का निर्णय अपने पद के अधिकारियों के अतिरिक्त कर्ता होता है तो नियमित सेवा के अधिकारियों को उनके मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग की 10 प्रतिशत धनन्तर अनुमय होगी तथा संविदा सेवा पर कार्यरत अधिकारियों को उनके पारिश्रमिक की 4 प्रतिशत धनन्तर अनुमय होगी। उक्त भत्ता संबंधित अधिकारी को उस तिथि से अनुमय होगा, जिस तिथि से उक्त अतिरिक्त दायित्व महानिदेशक, नागर विभाग की सुसंगत सिविल एविशेष रिकवायर्सेंट/एविशेष संस्थासे के अधीन मान्य हो।

4- नागरिक उद्देश्य निदेशालय, उप्र के कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के वेतन-भत्ता/पारिश्रमिक/अन्य भत्ताओं के समय में समय-समय पर एवं निर्गत आदेश उपरुप सीमा तक संशोधित समझे।
जानें और इस शासनाधेश के अनुसार में अग्नितर आवश्यक कार्यवाही निदेशक, नागरिक उड़ान, उ0प्र0 के स्तर पर सम्पादित की जाएगी और यथावास्थकतानुसार विभिन्न अधिवक्ताओं के कर्मियों के लिए आदेश निर्माण किये जाएगे।

भवदीय.

(एस0चेम0 प्रधानी)
सचिव |

राख्या: 1422(1)/छप्पन-2014-तद्विनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियमक) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड़ान निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चंद्र राय शर्मा)
अनु सचिव।